पत्र संख्या-विधि-4(3)/ सामान्य-2015-16/ 113 अं0मु0 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग
लखनऊ:: दिनांक::01 अप्रैल 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वाणिज्य कर की प्राप्तियों का लक्ष्य रु0 58 हजार करोड़ निर्धारित किया गया है तथा इस लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति किया जाना विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है। अत: यह आवश्यक है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जोन स्तर पर अभी से कार्य योजना बनाकर सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा सतत् प्रयास आरम्भ कर दिया जाए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने-अपने जोन स्तर पर कार्य योजना बनाकर बिलम्बतम दिनांक 10.04.2016तक मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की रुपरेखा स्पष्ट की जाए :-

1- जोन में करापवंचन की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं का चिन्हीकरण एवं उनके करापवंचन की रोकथाम के लिए किये जाने वाले प्रयास।

2- जोन में संचालित होने वाले करापवंचकों ट्रॅासपोर्टरों का चिन्हीकरण एवं उनके विरुद्ध परिणामपरक कार्यवाही की विस्तृत रुपरेखा।

3- पंजीकरण सीमा से अधिक व्यापार करने वाले अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने से संबंधित कार्यवाही की रुपरेखा।

(इस संबंध में अपने-अपने जोन में प्रचलित ट्रेड/व्यवसाय का चिन्हीकरण, उनसे संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं किये जाने वाले प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया जाए)

4- वि0अनु0शा0 जांच को प्रभावशाली एवं परिणामपरक बनाये जाने हेतु कार्य योजना।

5- गत 3 वर्षो में वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा पाये गये करापवंचन के सापेक्ष की गयी कार्यवाही एवं उसके परिणाम तथा अवशेष धनराशि की वसूली हेतु कार्य योजना।

6- वि0अनु0शा0 के अवशेष वादों की स्थिति एवं उनके त्वरित निस्तारण की कार्य योजना।

7- सचल दल इकाईयों से प्राप्त जमानत के मामले की अवशेष स्थिति एवं उनके त्वरित निस्तारण की कार्य योजना।

8- वर्ष 2013-14 के अवशेष वादों की स्थिति एवं उनके दिसम्बर 2016 के पूर्व निस्तारण की कार्य योजना।

(इस संबंध में प्रत्येक माह डिप्टी कमिश्नर द्वारा कम से कम 25 वादों, असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कम से कम 50 वादों एवं वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा कम से कम 60 वादों का निस्तारण कराये जाना, कार्य योजना का भाग होगा।)

9- रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की संख्या अर्थदण्ड, अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही एवं स्थलीय जांच की कार्य योजना।

10- रिटर्न की प्रभावी स्क्रूटनी एवं उसके परिणामों की प्रभावी समीक्षा की कार्य योजना।

11- आन्तरिक एवं वाह्य सम्परीक्षा के अनिस्तारित प्रतिवेदनों की स्थिति एवं उनके निस्तारण की कार्ययोजना।

11- विभिन्न न्यायालयों से स्थगित की गयी धनराशि का विवरण एवं उनके निस्तारण की कार्ययोजना।

उपरोक्त बिन्दुओं पर परिणामात्मक कार्य योजना बनाकर नियत तिथि तक मुख्यालय प्रेषित की जाये तथा प्रत्येक जोन की कार्ययोजना प्राप्त होने पर जोनवार अलग-2 विचारविमर्श मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। इस संबंध में आपके जोन से संबंधित तिथि निर्धारित करते हुए उसकी सूचना अलग से प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1/04/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।